छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 03-06-2003
07-06-2003

क्रमांक एफ- 14-2/03/(6)11-2 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी "छत्तीसगढ राज्य ब्यांज अनुदान नियम -2001" निम्नानुसार लागू करता है ।

1- नियम :-

ये नियम छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम -2001 कहे जावेगें

2- प्रभावशील तिथि :-

ये नियम दिनांक 01.11.2001 से प्रभावशील होगें

3- परिभाषा :-

इस योजना के सबंध में नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई,सूचना प्रौद्योगिकी इकाई, मध्यम तथा वृहद औद्योगिक इकाई, अनुसूचित जाति/ जनजाति व अनुसूचित जाति/जनजाति व्दारा स्थापित/प्रस्तावित उद्योग, सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी आदि की परिभाषाएं वही होगी जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र0 एफ-14-2/03/(6) 11-1 दिनांक 03/07-6-03 द्वारा जारी की गयी है ।

4- पात्रता :-

4.1- नवीन लघु ओधोगिक इकाइयों तथा नवीन सूचना प्रोधोगिकी इकाइयों चाहे वह किसी भी श्रेणी (लघु/मध्यम-वृहद) की हो, को उनके द्वारा प्राप्त किये सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण दोनो ही पर सबंधित वित्त पोषक संस्था को देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज अनुदान की पात्रता होगी

4.2- ऐसी नवीन लघु उद्योग इकाई, नवीन सूचना प्रोधोगिकी इकाई जो भारत शासन/ राज्य शासन या भारत शासन / राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषित है तथा जिन्हें पूर्व से ही ब्याज की रियायती दर लगती है, को इस ब्याज अनुदान की पात्रता नही होगी ।

4.3- भारत शासन /राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलों /संस्थाओं द्वारा स्थापित लघु उद्योगों / सूचना प्रोधोगिकी उद्योगों को ब्याज अनुदान की पात्रता नही होगी

5- अनुदान की मात्रा :-

5.1- ब्याज अनुदान की मात्रा सामान्य वर्ग के उद्यमियों हेतु 5 प्रतिशत वार्षिक होगी जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 लाख प्रति वर्ष होगी ।

5.2- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु ब्याज अनुदान दर 10 प्रतिशत वार्षिक होगी जिसकी कोई अधिकतम सीमा नही होगी ।

5.3- सूचना प्रोधोगिकी इकाईयों को ब्याज अनुदान की मात्रा 5 प्रतिशत

वार्षिक होगी जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 5.00 लाख होगी अनूसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा सूचना प्रौधोगिकी से सबंधित उद्योग लगाने पर ब्याज अनुदान की दर 10 प्रतिशत वार्षिक होगी जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

5.4– उपरोक्त (5.1) तथा (5.2) के अंतर्गत देय अनुदान की दर इस प्रकार सीमित होगी कि ऋणी उद्यमी को कम से कम 1 प्रतिशत ब्याज स्वयं देना होगा तथा अनुदान की दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिरोपित दर से 1 प्रतिशत (स्वंय द्वारा देय ब्याज) कम करने के पश्चात शेष बची ब्याज दर के आधार पर अधिकतम सीमा तक दी जा सकेगी ।

5.5– ब्याज अनुदान की अवधि ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से 5 वर्ष तक होगी ।

5.6– ब्याज अनुदान केवल मूल ब्याज दर के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय दर पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

5.7– यदि किसी त्रैमास में समय पर ब्याज या किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त संस्था द्वारा "डिफाल्टर" माना जाता है तो उस त्रैमास में ब्याज अनुदान प्राप्त नही होगा । किसी त्रैमास में एक बार डिफाल्टर हो जाने पर उस त्रैमास की ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमास /त्रैमासों में पूर्व के त्रैमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

(6)– <u>प्रकिया :–</u>

6.1– नवीन लघु औधोगिक इकाईयों तथा नवीन सूचना प्रौधोगिकी इकाईयों को उद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा

1– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/,आई.ई.एम /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र जो लागू हो

2– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

3– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र

4– ऋण का स्वीकृति पत्र सिर्फ पहले त्रैमास के आवेदन के साथ उसके पश्चात स्वीकृत पत्र में संशोधन परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में आवेदन के साथ संशोधित स्वीकृति पत्र लगाना होगा ।

5– निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें नवीन लघु औधोगिक इकाई/नवीन सूचना प्रौधोगिकी इकाई द्वारा लिया गया ऋण भुगतान की किस्त, इकाई पर अधिरोपित ब्याज, इकाई द्वारा भुगतान किया गया मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज अनुदान की दर तथा राशि से सबंधित विवरण जो सबंधित शाखा प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, का समावेश होगा ।

6– वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नही है या ऋण के भुगतान हेतु स्थगन सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया है ।

6.2– ब्याज अनुदान सबंधी क्लेम इकाई द्वारा या वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर संबंधित जिले के महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन मे आने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात प्रस्तुत किया जावेगा

6.3– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रं द्वारा क्लेम का परीक्षण कर क्लेम ब्याज अनुदान के नियमों के अनुसार होने पर निर्धारित प्रारूप मे स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा । बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि ऋणी विशेष के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो उसी ऋणी के खाते में सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक तुरंत द्वारा जमा की जावेगी ।ब्याज अनुदान की राशि नगद में नही दी जायेगी ।

6.4– ब्याज अनुदान का प्रथम क्लेम नवीन लघु इकाई/नवीन सूचना प्रौधोगिकीय इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । निर्धारित अवधि के पश्चात किया गया क्लेम महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा निरस्त किया जावेगा तथा निस्तीकरण आदेश पारित किया जावेगा। आगामी किसी भी त्रैमास का क्लेम अगले 2 त्रैमास के अंदर जिला व्यापार एवां उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा मान्य योग्य नही रह जायेगा, अपरिहार्य कारणों से हुए विंलब को अगले उच्च अधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा ।

7– <u>ब्याज अनुदान की वसुली–</u>

7.1– ब्याज अनुदान की राशि इकाई के खाते मे जमा हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि इकाई / बैक द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो ब्याज अनुदान की राशि एक मुश्त वसुली योग्य हो जावेगी जिसकी वसुली संबंधित/ बैक /इकाई या दोनों से की जा सकेगी यह राशि इकाई / बैंक या दोनो से भू–राजस्व वसुली के अनुसार वसुल की जा सकेगी ।

7.2– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को यह अधिकार है कि ब्याज अनुदान का क्लेम स्वीकृत होने के पश्चात बाद में नियमानुसार नही पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकेगा एवम यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैक को प्रेषित कर दी गई है तो वापस प्राप्त कर सकेगा ।

8– <u>अपील :–</u>

महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी । अपील का निर्णय अधिकतम 60 दिनों में किया जायेगा ।

9– नियमो की व्याख्या अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं इकाई के लिये बंधनकारी होगा ।

10– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

11– योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर